राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1435/2012/सीकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–षष्टम्, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

विजय ट्रेडिंग कम्पनी,
खाटूश्यामजी, सीकर। ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से

श्री पंकज धीया,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक 05/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 324/अपील्स–III/2010–11 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी ने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही विक्रय प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये, जिस पर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत–सप्तम्, जयपुर (जिसे आगे कर **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। साथ ही आलौच्य अवधि में ग्वार आडत के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र वैट–36 एवं कर जमा का कोई चालान पेश नहीं किया, एवं राज्य बाहर मूंगफली का विक्रय किया जा काश्तकारों से खरीद कर विक्रय किया, जिसका कोई कर जमा नहीं करवाया, इस पर भी कर निर्धारण अधिकारी ने कर एवं ब्याज का आरोपण कर दिया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कुल राशि रूपये 1,85,482/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.01.2012 द्वारा प्रकरण में ग्वार आडत की बिक्री के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय, अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी ने आलौच्य अवधि में ग्वार आडत में मैसर्स राकेश कुमार प्रमोद

कुमार, अलवर के माध्यम से विक्रय किया, जिसके समर्थन में निर्धारित प्रपत्र वैट–36 एवं कर जमा का कोई चालान पेश नहीं किया, एवं साथ ही प्रत्यर्थी ने राज्य बाहर मूंगफली का विक्रय किया, जिस पर भी कोई कर जमा नहीं करवाया। अतः उन्होंने अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवसायी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के बाहर मूंगफली का विक्रय किया है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को ग्वार आडत बिक्री के समर्थन में वैट–36 एवं कर जमा कराने के साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अतः उन्होंने अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर किये जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर के प्रिंसिपल के क्रय अनुबन्ध के अनुक्रम में मूंगफली का क्रय कर उसका विक्रय राज्य के बाहर किया है, जो कि अन्तर्राज्यीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के बाहर किया गया है। अतः इस बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ग्वार आडत के विक्रय के समर्थन में वैट–36 एवं कर जमा कराने के साक्ष्य जमा करवाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.01.2012 की पालना में दिनांक 11.11.2013 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर यह प्रकरण सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष